न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 03 / 2017
जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2017 / 00121

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. वरधाराम पुत्र पन्नाराम जाति ब्राहम्मण निवासी दांतियां तहसील सांचौर जिला जालोर।		1. रगा पुत्र खेमराज जाति मेघवाल निवासी दांतिया तहसील सांचौर जिला जालोर। 2. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे वर्तमान एसबीआई शाखा सांचौर। 3. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः— 20.02.2026

1. अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त भूमि ग्राम दांतिया, पटवार हल्का सरवाना, उपखण्ड सांचौर में खसरा नम्बर 206 (1.06 हे.), 207 (0.04 हे.), 208 (4.11 हे.), 333 (1.41 हे.) एवं 334 (1.48 हे.) कुल रकबा 8.10 हेक्टेयर है, जिसमें प्रार्थी की पुरानी रहवासी ढाणी स्थित है। उक्त भूमि तक आने—जाने का राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है, जिससे आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है। प्रार्थी को अपने खेत व ढाणी तक पहुँचने हेतु ग्राम दांतिया से जाने वाले मार्ग के लिए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 209 (3.05 हे.) में से 169 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई (कुल 0.0845 हे.) भूमि की आवश्यकता है, जो नक्शा परिशिष्ट (अ) में ए से बी तक लाल श्याही से दर्शाई गई है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। रास्ते के अभाव में बच्चों के स्कूल आने—जाने, कृषि कार्य, साधन व राशन लाने—ले जाने में अत्यधिक परेशानी हो रही है। अप्रार्थी द्वारा मार्ग देने से मना किया गया है। अतः निवेदन है कि आवेदित भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" दर्ज कर मार्ग स्वीकृत करने तथा अप्रार्थी को किसी प्रकार की बाधा या निर्माण करने से रोकने का आदेश प्रदान किया जाए। प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर राशि देने को तैयार है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना–दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

3. अप्रार्थी 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 01 व 02 असत्य एवं अस्वीकार्य है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेतों के तथ्यों को स्वयं सिद्व करे, उससे अप्रार्थी संख्या 01 का कोई संबंध नहीं है। मेरे खसरा संख्या 209 (3.05 हे.) में न कभी रास्ता था और न ही वर्तमान में मौके या राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज है। प्रार्थी द्वारा मुझे परेशान करने व भूमि हड़पने की नियत से यह झूठा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के खेतों तक पहुँचने हेतु पूर्व से ही दो कदीमी वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं, जिनका उपयोग वह वर्षों से करता आ रहा है। जो ग्राम दांतिया के खसरा 216 (गैर मुमकिन रास्ता) से खसरा 212, 203, 204 होते हुए उसके खेतों तक तथा डामर सड़क (सांचौर–सरवाना मार्ग) से ग्राम बिंछावाड़ी के खसरा 692, 694, 693, 697, 698 होते हुए खसरा 206, 207, 208 तक दोनों रास्ते मौके पर चालू हैं। अतः धारा 251 ए आर.टी. एक्ट के तहत आवेदन बनता ही नहीं, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। आवश्यक पक्षकारों को भी शामिल नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का आवेदन निराधार, मनगढ़ंत एवं कानूनन अपात्र होने से खर्चे सहित खारिज किया जाए।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दांतिया, पटवार हल्का सरवाना, उपखण्ड सांचौर में खसरा नं. 206, 207, 208, 333 व 334 कुल 8.10 हेक्टेयर है, जहाँ उसकी पुरानी रहवासी ढाणी स्थित है। उक्त भूमि तक पहुँचने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। खेत व ढाणी तक आवागमन के लिए अप्रार्थी की खसरा नं. 209 (3.05 हे.) में से 169 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा (0.0845 हे.) मार्ग आवश्यक है, जो नक्शा परिशिष्ट (अ) में ए से बी तक दर्शाया गया है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः आवेदित भूमि को "गैर मुमकिन रास्ता" दर्ज कर मार्ग स्वीकृत करने एवं बाधा रोकने का आदेश प्रदान किया जाए।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन असत्य एवं अस्वीकार्य है। खसरा संख्या 209 (3.05 हे.) में न कभी रास्ता था और न ही राजस्व रिकॉर्ड या मौके पर कोई मार्ग मौजूद है। प्रार्थी को उसके खेतों तक पहुँचने हेतु पहले से ही दो कदीमी वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं, जिनका वह वर्षों से उपयोग करता आ रहा है। वैकल्पिक मार्ग होने के कारण धारा 251 ए आर.टी. एक्ट के तहत यह आवेदन बनता ही नहीं। अतः प्रार्थी का आवेदन निराधार एवं कानूनन अपात्र होने से खर्चे सहित खारिज किया जाए।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

6. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :— 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(प) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(पप) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है—

तो आदेष द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्षाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

7. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदारी खेत पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा दांतिया पटवार हल्का अचलपुर के खसरा नं. 206 रकबा 1.06 हे., 207 रकबा 0.04 हे., खसरा नम्बर 208 रकबा 4. 11 हे., खसरा नम्बर 333 रकबा 1.41 हे., खसरा नम्बर 334 रकबा 1.48 हे., कुल रकबा 8.10 हेक्टेयर में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सांचौर के पत्रांक/भू.अ./न्या.जांच/2025/4496 दिनांक 28. 10.2025 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के मौजा दांतिया पटवार हल्का सरवाना के खेत खसरा नं 208 में आवागमन हेतु मौजा दांतिया पटवार हल्का सरवाना के खेत खसरा नंबर 209 व 211 में से प्रस्तावित रास्ते की जाँच कर मौका जॉच रिपोर्ट मौके पर दिनांक 07.10.2025 को पटवारी सरवाना एवं रूबरू मौतबरानों के तैयार की गई। मौका स्थिति अनुसार खसरा नंबर 208 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 216 के कटान रास्ता से रगा पुत्र खेमराज जाति मेघवाल सा देह खातेदार की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 211 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन 80 मीटर लम्बाई तक (कुल रकबा 0.04 हैक्टर) तथा खसरा नंबर 209 रकबा 3.05 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम के उत्तरी–पश्चिमी माठ के सहारे 175 मीटर लम्बाई तथा 04 मीटर चौड़ाई में (रकबा 0.07 हैक्टर) प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 208 की दक्षिणी माठ तक निकटतम एवं सुविधाजनक है, मौके पर कोई अवरोध या निर्माण नहीं है। रास्ते हेतु उपयोगार्थ प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी एल सी दर से दुगुनी राशी प्रतिकर के रूप में भुगतान अथवा रास्ता उपयोगार्थ प्रस्तावित भूमि रकबा के बराबर भूमि प्रार्थी खातेदार की खातेदारी से कम कर अप्रार्थी खातेदार के नाम दर्ज कर प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना उचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा दांतिया पटवार हल्का सरवाना के खसरा नंबर 208 में आवागमन हेतु मौजा दांतिया पटवार हल्का सरवाना के खातेदार रगा पुत्र खेमराज जाति मेघवाल सा देह खातेदार की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 211 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन 80 मीटर लम्बाई (कुल रकबा 0.04 हैक्टर) तथा खसरा नंबर 209 रकबा 3.05 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम के उत्तरी–पश्चिमी माठ के सहारे 175 मीटर लम्बाई तथा 04 मीटर चौड़ाई में (रकबा 0.07 हैक्टर) अर्थात कुल रकबा 1100 वर्ग मीटर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:– आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा दांतिया पटवार हल्का सरवाना के खसरा नंबर 208 में आवागमन हेतु मौजा दांतिया पटवार हल्का सरवाना के खातेदार रगा पुत्र खेमराज जाति मेघवाल सा देह खातेदार की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 211 रकबा 0.04

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

हैक्टर किस्म गैर मुमकिन 80 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौड़ाई (कुल रकबा 0.04 हैक्टर) तथा खसरा नंबर 209 रकबा 3.05 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम के उत्तरी–पश्चिमी माठ के सहारे 175 मीटर लम्बाई तथा 04 मीटर चौड़ाई में (रकबा 0.07 हैक्टर) अर्थात कुल रकबा 1100 वर्ग मीटर रास्ता दर्ज करते हुए क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थी के खसरा संख्या 208 में से रकबा 1100 वर्गमीटर खसरा संख्या 209 की सीमा से लगते हुए कम की जाकर राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 रगा के राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **20.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)